संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0भोपाल

E-Mail- dagmapwa@mp.gov.in Fax-0755-2562468 Ph:0755-2573110

क्रमांक:माहिला नीति/निर्देश/2010–11/98 भोपाल,दिनांक:– 20/10/2010

प्रति,

1. संयुक्त संचालक,
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास
   संभाग ——————
2. उप संचालक,
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास
   जिला————

विषय:— म0प्र0 अवकाश नियम अंतर्गत ''मातृत्व अवकाश'' के संबंध में।
संदर्भ:— मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 18.6.2010

विषयान्तर्गत म0प्र0 राजपत्र दिनांक18.6.2010 भाग 4 (ग) पृ.क्र. 287 (संलग्न) के अनुसार ''अंतिम नियम'' वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 7.6.2010 के द्वारा ''मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम'' 1977 के नियम 38 (1) मे संशोधन कर, 90 (नब्बे) दिन के अवकाश के स्थान पर 180 (एक सौ अस्सी) दिन किया गया है।

अतः आपके कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिन के मातृत्व अवकाश की पात्रता है।

आवश्यक निर्देश पारित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0भोपाल

क्रमांक:माहिला नीति/निर्देश/2010–11/99 भोपाल,दिनांक:– 20/10/2010

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय म0प्र0भोपाल
2. अपर/संयुक्त/उप संचालक —————————— की ओर भेजकर लेख है कि ''कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिन के मातृत्व अवकाश की पात्रता है।

संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

PUD5

2430476

(1)	(2)
3. All Deputy Transport Commissioner	158 (3), 158 (4), 202, 206 and 207.".
4. All Assistant Transport Commissioner	
5. Regional Transport Officers	
6. Additional Regional Transport Officers	
7. Assistant Regional Transport Officers	
8. Transport Inspectors	
9. Transport sub-Inspectors	
10. Assistant Transport sub-Inspectors	

Note.—All officers specified in column (1) shall exercise all the powers prescribed under all Section mentioned in column (2).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

अंतिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

133
21/9/10

क्र. 1-7-1-2010-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम, 38 (1) में शब्द "नब्बे" जहां-जहां भी आया है, उसके स्थान पर शब्द "एक सौ अस्सी" प्रतिस्थापित किया जाए.

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

No. F-1-7-2010-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madha Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 1977, namely :—

AMENDMENT

In Rule 38 (1) of the said rules, the word "ninety", wherever occurring, shall be substituted by the word "one hundred eighty".

This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. सिंघल, प्रमुख सचिव.

Scanned with OKEN Scanner